

राजरथान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

दिनांक 30/10/2025

क्रमांक:- 330

आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती पार्थक्य पत्र पटवारी सोहन कोठी व
 भूअ.नि. सोहन कोठी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नायब तहसीलदार
 की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के
 अनुसरण में ग्राम 18 PTDA तहसील रापसिंहनगर जिला डी. गंगानगर की जमावदी
 सम्वत में खाता संख्या 18 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से
 शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01.	18 PTDA	18	जितेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह OBC शाका किछा कोठी	जितेन्द्र सिंह लक्ष्मण सिंह PNB शाका कोठी

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 पदेन सहायक कलक्टर
 रायसिंहनगर

क्रमांक:- 331-332

दिनांक:- 30.10.2025

1. तहसीलदार रापसिंहनगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 पदेन सहायक कलक्टर
 रायसिंहनगर

